जीसीएमएस नं. 2025/171

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 09/2025

राज्य सरकार जरिये विनोद कुमार, प्रवर्तन अधिकारी, सादुलशहर। **प्रार्थी**

बनाम

1. श्री विकास बजाज पुत्र श्री इन्द्रमोहन, निवासी वार्ड न. 17, सादुलशहर **अप्रार्थी**

प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा सामग्री 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 12.0 किलोग्राम गैस, 1 पाईप, 1 रेगुलेटर वं 1 चूल्हा भट्टी को राजसात करने बाबत।

उपस्थित : प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि
अप्रार्थी विकास बजाज अनुपस्थित।

दिनांकः 09.01.2026

निर्णय

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि घरेलू गैस का दुरूपयोग किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर प्रवर्तन अधिकारी, सादुलशहर दिनांक 1.11.2025 को पतली स्थित महादेव योग ध्यान मेडिटेशन सेंटर शिविर पतली, सादुलशहर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर श्री विकास बजाज पु श्री इन्द्रमोहन, निवासी वार्ड न. 17 उपस्थित मिला, जिन्होने स्वयं को उक्त ध्यान केन्द्र का कार्यकर्ता होना बताया। श्री विकास बजाज पुत्र श्री इन्द्रमोहन की उपस्थिति में ध्यान केन्द्र का निरीक्षण किया गया। ध्यान केन्द्र की जांच में पाया कि ध्यान केन्द्र द्वारा अवैध नशा मुक्ति केन्द्र का संचालन किया जाता है। ध्यान केन्द्र पर घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग भोजन, चाय,नाश्ता आदि बनाने में किया जाता है। मौके पर उक्त ध्यान केन्द्र पर 03 एलपीजी गैस सिलेण्डर पाए गए। मौके पर पाए गए 3 घरेलू गैस सिलेण्डर इंडेन गैस कंपनी के हैं। मौके पर पाए गए 03 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर बतौर वजह सबूत जब्त किये गए। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज **श्री विकास बजाज पुत्र श्री इन्द्रमोहन** द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। **श्री विकास बजाज पुत्र श्री इन्द्रमोहन** के ध्यान केन्द्र पर पाये गए 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 12.0 किलोग्राम गैस को जरिए फर्द जब्ती जप्त किया गया एवं **श्री अमन सिंह पुत्र श्री जालंधर सिंह मैनेजर सादुलशहर इण्डेन गैस सर्विस, सादुलशहर** को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका जब्ती एवं फर्द सुपुदर्गीनामा अलग से तैयार किया गया। **श्री विकास बजाज पुत्र श्री इन्द्रमोहन** के 03 घरेलू गैस सिलेंडर मय 12.0 किलोग्राम गैस का दुरूपयोग किया जा रहा था। **श्री विकास बजाज पुत्र श्री इन्द्रमोहन** के द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर का दुरूपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग). 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौके से जब्त 03 घरेलू गैस सिलेंडर मय 12.0 किलोग्राम गैस, 01 पाईप, 01 रेगुलेटर एवं 01 चुल्हा भट्टी को राजसात करने का आदेश फरमावें।

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी स्वयं उपस्थित नहीं। अप्रार्थी के नोटिस की तामील पुलिस थाना सादुलशहर की रिपोर्ट अनुसार नोटिस की तामील विकास बजाज पुत्र श्री इन्द्रमोहन को जरिए दुरभाष पर तारीख पेशी के लिए सूचित किया गया। अप्रार्थी आज दिनांक तक उपस्थित नहीं है।

राजकीय पैरोकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि घरेलू गैस का दुरूपयोग किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर प्रवर्तन अधिकारी, सादुलशहर दिनांक 1.11.2025 को पतली स्थित महादेव योग ध्यान मेडिटेशन सेंटर शिविर पतली, सादुलशहर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर श्री विकास बजाज पु श्री इन्द्रमोहन, निवासी वार्ड न. 17 उपस्थित मिला, जिन्होने स्वयं को उक्त ध्यान केन्द्र का कार्यकर्ता होना बताया। श्री विकास बजाज पुत्र श्री इन्द्रमोहन की उपस्थिति में ध्यान केन्द्र का निरीक्षण किया गया। ध्यान केन्द्र की जांच में पाया कि ध्यान केन्द्र द्वारा अवैध नशा मुक्ति केन्द्र का संचालन किया जाता है। ध्यान केन्द्र पर घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग भोजन, चाय,नाश्ता आदि बनाने में किया जाता है। मौके पर उक्त ध्यान केन्द्र पर 03 एलपीजी गैस सिलेण्डर पाए गए। मौके पर पाए गए 3 घरेलू गैस सिलेण्डर इंडेन गैस कंपनी के हैं। मौके पर पाए गए 03 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर बतौर वजह सबूत जब्त किये गए। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज **श्री विकास बजाज पुत्र श्री इन्द्रमोहन** द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। **श्री विकास बजाज पुत्र श्री इन्द्रमोहन** के ध्यान केन्द्र पर पाये गए 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 12.0 किलोग्राम गैस को जरिए फर्द जब्ती जप्त किया गया एवं **श्री अमन सिंह पुत्र श्री जालंधर सिंह मैनेजर सादुलशहर इण्डेन गैस सर्विस, सादुलशहर** को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका जब्ती एवं फर्द सुपुदर्गीनामा अलग से तैयार किया गया। **श्री विकास बजाज पुत्र श्री इन्द्रमोहन** के 03 घरेलू गैस सिलेंडर मय 12.0 किलोग्राम गैस का दुरूपयोग किया जा रहा था। **श्री विकास बजाज पुत्र श्री इन्द्रमोहन** के द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर का दुरूपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग). 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जब्त 03 घरेलू गैस सिलेंडर मय 12.0 किलोग्राम गैस, 01 पाईप, 01 रेगुलेटर एवं 01 चुल्हा भट्टी को राजसात करने का आदेश किया जाए।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि घरेलू गैस का दुरूपयोग किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर प्रवर्तन अधिकारी, सादुलशहर दिनांक 1.11.2025 को पतली स्थित महादेव योग ध्यान मेडिटेशन सेंटर शिविर पतली, सादुलशहर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर श्री विकास बजाज पु श्री इन्द्रमोहन, निवासी वार्ड न. 17 उपस्थित मिला, जिन्होने स्वयं को उक्त ध्यान केन्द्र का कार्यकर्ता होना बताया। श्री विकास बजाज पुत्र श्री इन्द्रमोहन की उपस्थिति में ध्यान केन्द्र का निरीक्षण किया गया। ध्यान केन्द्र की जांच में पाया कि ध्यान केन्द्र द्वारा अवैध नशा मुक्ति केन्द्र का संचालन किया जाता है। ध्यान केन्द्र पर घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग भोजन, चाय,नाश्ता आदि बनाने में किया जाता है। मौके पर उक्त ध्यान केन्द्र पर 03 एलपीजी गैस सिलेण्डर पाए गए। मौके पर पाए गए 3 घरेलू गैस सिलेण्डर इंडेन गैस कंपनी के हैं। मौके पर पाए गए 03 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर बतौर वजह सबूत जब्त किये गए। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज **श्री विकास बजाज पुत्र श्री इन्द्रमोहन** द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। **श्री विकास बजाज पुत्र श्री इन्द्रमोहन** के ध्यान केन्द्र पर पाये गए 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 12.0 किलोग्राम गैस को जरिए फर्द जब्ती जप्त किया गया एवं **श्री अमन सिंह पुत्र श्री जालंधर सिंह मैनेजर सादुलशहर इण्डेन गैस सर्विस, सादुलशहर** को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका जब्ती एवं फर्द सुपुदर्गीनामा अलग से तैयार किया गया। **श्री विकास बजाज पुत्र श्री इन्द्रमोहन** के 03 घरेलू गैस सिलेंडर मय 12.0 किलोग्राम गैस का दुरूपयोग किया जा रहा था। **श्री विकास बजाज पुत्र श्री इन्द्रमोहन** के द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर का दुरूपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग). 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जब्त 03 घरेलू गैस सिलेंडर मय 12.0 किलोग्राम गैस, 01 पाईप, 01 रेगुलेटर एवं 01 चुल्हा भट्टी को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner